न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—204 / 2017 / 223 (2017 / 00204)

1. हुसैन खां पुत्र गमीरा खां, जाति मुसलमान, निवासी खरेखड़ी, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट, अजयसर दिनांक 3.6. 2017 अंतर्गत वाद संख्या 25 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः—07.09.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2017 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अजयसर तहसील अजमेर स्थित खाता संख्या नंया 616 पुराना 174 के खसरा नंबर 1234 / 2935 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 1235 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 1236 रकबा 0.12 है0 कुल रकबा 0. 17 है0 व खाता संख्या 612 नया पुराना 461 के खसरा नंबर 1231 रकबा 0.37 है0 व खाता संख्या 613 नया पुरना 195 खसरा नंबर 866 रकबा 0. 02 है0, खसरा नंबर 867 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 868रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 1237 रकबा 0.19 है0 कुल खसरा 4 रकबा 0.41 है0 स्थित है जिसमें वादी का वास्तविक नाम हुसैन खां पुत्र गमीरा खां है परन्तु जमाबंदी में सहवन से वादी के घर बोलते नाम सोहन खां पुत्र गमीरा खां दर्ज हो गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम हुसैन खां पुत्र गमीरा खां है । अतः वाद स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सोहन खां पुत्र गमीरा खां के बजाय हुसैन खां पुत्र गमीरा खां दर्ज किया जावे । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प कोर्ट अजयसर में रखकर वादी का वाद का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व

डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा वाद में न तो तनकियात कायम की गई और ना ही वादीगण अथवा पक्षकारान की साक्ष्य ग्रहण की गई जिसके अभाव में स्वंय वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात कतई प्रदर्श नहीं हुए । ऐसे अप्रदर्शित दस्तावेज को आधार मानकर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात बाबत् अपने सही नाम हुसैन ख्याां पुत्र गमीरा खां की दुरूस्ती बाबत् अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र, बैंक पास बुक, सर्विस बुक आदि दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये थे जिससे यह भली–भांति सिद्ध था कि वादी/अपीलांट का नाम हुसैन खां पुत्र गमीरा खां है न कि सोहन खां पुत्र गमीरा खां किन्तु अधी0न्याया0 ने इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर प्रकरण को कैम्प में रखकर बिना तनकियात कायम किये विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि के सिद्धांतों के विपरीत होकर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के विरूद्ध है । अधी0न्याया0 को वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने कैम्प कोर्ट में नंबर बढ़ाने के उद्देश्य से वाद को खारिज किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजियात जरिये विक्रय पत्र के अपीलांट के खाते में दर्ज हुई है तथा विक्रय पत्र में अपीलांट का नाम सोहन खां पुत्र गमीरा खां दर्ज है। वादी दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित करने में असफल रहा है। अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट का असल नाम हुसैन खां पुत्र गमीरा खां है किन्तु सहवन से वादी के घर के बोलता नाम राजस्व रिकार्ड में सोहन खां पुत्र गमीरा खां दर्ज हो गया है। अधी0न्याया0 में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी सरकार की और से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ है । इसके पश्चात् अधी0न्याया0 ने वाद को कैम्प कोर्ट में रखकर सरसरी तौर पर वादी/अपीलांट का वाद निर्णित किया है जबकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम करते तत्पश्चात् कायम तनकियात के संबंध में उभयपक्ष को साक्ष्य,सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर तनकीवार निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है जो आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा

अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का निर्णय एवं डिक्री दिनाक 3.6.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करे ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर